

वन अधिकार अधिनियम 2006 से सम्बंधित जिलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण
पत्र उपलब्ध कराने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि टेरिटरी मैनेजर (रिटेल) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० कानपुर मंडलीय कार्यालय ,कालपी रोड पनकी, कानपुर द्वारा जनपद कानपुर देहात में रूरा-झीझंक मार्ग (अ०जि०मा०) के किमी० 1 (Ch. 445-481) के मध्य बायीं पटरी पर गाटा संख्या 179, ग्राम-गुटैया, तहसील-अकबरपुर, जिला- कानपुर देहात (उत्तर प्रदेश) में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में वन अधिकार अधिनियम 2006 से सम्बंधित जिलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का प्रमाण पत्र जिलाधिकारी कानपुर देहात के कार्यालय में प्रेषित की जा चुकी है,प्राप्त होते ही पृथक से प्रेषित किया जायेगा ।


प्रभागीय वन अधिकारी
कानपुर देहात वन प्रभाग, कानपुर देहात
कानपुर-देहात

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०
कानपुर (रिटेल) टेरिटरी



हेमन्त कुमार / Hemant Kumar
मुख्य प्रबंधक (खुदरा विक्रय) / Ch. Manager (RS)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Indian Oil Corporation Limited
कानपुर मंडलीय कार्यालय पनकी, कानपुर-208 020
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-208 020